

मंदिरों पर राज्य का नयितरण

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

धार्मिक स्वतंत्रता, मूल अधिकार, [अनुच्छेद 25](#)।

मुख्य परीक्षा के लिये:

पूजा स्थलों पर राज्य नयितरण संबंधी मुद्दे, मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता, सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

तरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पवित्र प्रसाद के रूप में तरुपतलिड्डू को लेकर हाल ही में हुए विवाद से हट्टू मंदिरों पर सरकारी नयितरण के मुद्दे पर प्रकाश पड़ा है।

- लड्डूओं में मलिवट्टी घी पाए जाने के बाद इन मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने की मांग फिर से उठने लगी है।

तरुमाला वेंकटेश्वर (तरुपतलिबालाजी) मंदिर

- यह तरुमाला, आंध्र प्रदेश में वेंकट पहाड़ी पर स्थित है, जो तरुमाला पहाड़ियों की सात पहाड़ियों (सप्तगिरि) में से एक है।
- यह भगवान वशिष्ठ के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है।
- इस मंदिर का इतिहास समृद्ध है जिसमें पल्लव, चोल और वजियनगर शासकों सहित विभिन्न दक्षिण भारतीय राजवंशों का प्रमुख योगदान रहा है।
 - इसमें पारंपरिक दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला है जिसमें ऊँचा गोपुरम (प्रवेश द्वार) और जटिल नक्काशी है।
- इस मंदिर की एक उल्लेखनीय प्रथा यह है कि भक्तगण बाल दान करते हैं।

भारत में पूजा स्थलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

- हट्टू मंदिर:
 - सरकारी नयितरण: अधिकांश हट्टू मंदिरों का प्रबंधन राज्य के नयिमों के तहत किया जाता है, कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो मंदिर प्रशासन पर सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, तमिलनाडु का हट्टू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग मंदिर प्रबंधन की देखरेख करता है जिसमें वृत्ति और मंदिर प्रमुखों की नियुक्तियाँ शामिल हैं।
 - आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तरुपतलि मंदिर के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी, तरुमाला तरुपतलिदेवस्थानम् (TTD) के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है।
 - आय का उपयोग: प्रमुख मंदिरों से प्राप्त राजस्व को अक्सर छोटे मंदिरों और सामाजिक कल्याण पहलों जैसे अस्पतालों, अनाथालयों और शैक्षणिक संस्थानों के रखरखाव हेतु आवंटित किया जाता है।
 - वधिकि ढाँचा: राज्य को हस्तक्षेप की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) से प्राप्त होती है जिससे जवाबदेही सुनिश्चित करने के क्रम में धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों के वनियमन की अनुमति मिलती है।
 - भारत में लगभग 30 लाख पूजा स्थलों में से अधिकांश हट्टू मंदिर हैं (जनगणना 2011)।
- मुस्लिम और ईसाई पूजा स्थल:
 - सामुदायिक प्रबंधन: मुस्लिम और ईसाई पूजा स्थलों की देखरेख आमतौर पर समुदाय-आधारित बोर्डों या ट्रस्टों द्वारा की जाती है,

■ **सखि, जैन और बौद्ध मंदिर:**

- मंदिरों के संबंध में राज्य वनियमन की ऐतहासिक पृष्ठभूमि क्या है?**

- धार्मिक मामलों में राज्य के वनियमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?**

- ## मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग

- **RSS द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव (1959):** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपना पहला प्रस्ताव पारित किया जिसमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की गई, जिसमें धार्मिक संस्थानों के स्व-परबंधन की आवश्यकता पर परकाश डाला गया।

- **काशी वशिष्ठनाथ मंदिर मामले (1959):** अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) ने उत्तर प्रदेश सरकार से काशी वशिष्ठनाथ मंदिर का प्रबंधन हटिओं को वापस करने का आग्रह किया तथा धार्मिक मामलों पर राज्य के एकाधिकार की आलोचना की।
- **हालिया घटनाक्रम (2023):** मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिरों पर राज्य की नगिरानी में ढील देने के लिये कदम उठाए हैं जो धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नयितरण के पुनर्मूल्यांकन की बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत है।

पूजा स्थलों पर राज्य के नयितरण के पक्ष और वपिक्ष में क्या तरक हैं?

- **राज्य के नयितरण के पक्ष में तरक:**
 - कुप्रबंधन को रोकना: सरकारी नयितरण से मंदिर के धन के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ इसके दुरुपयोग में कमी आती है।
 - सभी जातियों को प्रवेश: राज्य पर्यवेक्षण से सामाजिक सुधारों को लागू करने में मदद मिलती है, जैसे सभी जातियों के लोगों को हट्टि मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देना।
 - कल्याणकारी गतिविधियाँ: बड़े मंदिर, अस्पतालों और स्कूलों जैसी कल्याणकारी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराते हैं। सरकारी नगिरानी से सुनिश्चित होता है कि इन नधियों का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिये किया जाए।
 - व्यावसायीकरण से संरक्षण: राज्य द्वारा मंदिरों को नहिती स्वार्थों से होने वाले शोषण से बचाया जा सकता है।
- **राज्य नयितरण के वरिद्ध तरक:**
 - धार्मिक स्वतंत्रता: संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने के अधिकार की गारंटी देता है और राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप इस अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
 - राजनीतिक हस्तक्षेप: मंदिरों पर राज्य नयितरण के परिणामस्वरूप अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, मंदिर के संसाधनों में हेराफेरी की जाती है और धन का गैर-धार्मिक उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है।
 - भेदभावपूर्ण: हट्टि मंदिरों पर सरकारी नयितरण को भेदभावपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अन्य धार्मिक पूजा स्थलों पर समान नयितरण नहीं लगाया जाता है।
 - सांस्कृतिक स्वायत्तता: मंदिर सांस्कृतिक केंद्र हैं और उनका प्रबंधन स्थानीय समुदाय के हतियों (न करि राज्य के) में होना चाहिये।

आगे की राह:

- **धार्मिक और प्रशासनिक कषेत्रों का पृथक्करण:** प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिये धार्मिक कार्यों और धर्मनरिपेक्ष प्रशासनिक कार्यों के बीच स्पष्ट रेखा खीचना आवश्यक है।
- **सुशासन सिद्धांत:** राज्य के अधिकारियों से मिलकर एक राज्य स्तरीय मंदिर प्रशासन बोर्ड का गठन किया जा सकता है, जो मंदिर प्रबंधन समिति (TMC) और स्थानीय मंदिर स्तरीय ट्रस्टों के साथ मिलकर कार्य करेगा, जिसमें पुजारी एवं समुदाय के सदस्य शामिल होंगे, ताकि विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की देखरेख की जा सके।
 - हट्टि रलियजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1991 में भी ऐसे मंदिर प्रशासन बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है।
- **वशिष्ठ प्रयोजन वाहन (SPV):** सभी मंदिरों के लिये विकास पहलों को संभालने के लिये एक मंदिर विकास और संवर्द्धन नगिम (TDC) बनाया जाना चाहिये, जिसमें पर्यटन, मंदिर नेटवर्किंग, अनुसंधान संवर्द्धन, आईटी संवर्द्धन, प्रशिक्षण और क्षमता नरिमाण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना:** केरल में देवासवोम मॉडल, जो जवाबदेही और पारदर्शिता पर ज़ोर देता है, मंदिर प्रबंधन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिये एक प्रभावी ढाँचे के रूप में कार्य करता है।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. भारत में पूजा स्थलों पर राज्य के नयितरण का धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनरिपेक्षता और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव का परकिक्षण कीजिये। संविधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से चर्चा कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

[[[?/?/?/?/?]]]:

Q. धर्मनरिपेक्षता की भारतीय अवधारणा पश्चिमी धर्मनरिपेक्षता मॉडल से कसि प्रकार भिन्न है? चर्चा कीजिये। (2016)